

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार
समक्ष अध्यक्ष, नवीन वर्मा, अध्यक्ष का पीठ

Ex. Case 21/2022
RERA/CC/1303/2020

अशोक कुमार चंचल

..... वादी

वनाम

मे0 अग्रणी होम्स रियल मार्केटिंग प्रा0 लि0

.....प्रतिवादी

प्रोजेक्ट- डफोडिल्स सिटी

13.9.2022

कार्यवाही

वादी उपस्थित हैं। विद्वान अधिवक्ता, श्री शशांक शेखर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हैं और उनके द्वारा वकालतनामा भी दायर किया गया है।

वादी की ओर से कहा गया कि पिछली सुनवाई की तिथि दिनांक 18-8-2022 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिवादी द्वारा उनसे अभी तक सम्पर्क नहीं किया गया है। इतनी अवधि बीतने के बावजूद उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि भुगतान संबंधी विवरणी अगले दो दिनों में उपलब्ध करा दी जायेगी और इसकी प्रति वादी को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

पीठ द्वारा वादी को निदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा दाखिल किये गये पत्युत्तर की प्रति प्रतिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाये। यदि वादी एवं प्रतिवादी के बीच भुगतान के संबंध में आपसी सहमति नहीं होती है तो अगली तिथि को बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिक्वरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत निलाम पत्र वाद दायर करने के लिए जिलाधिकारी, पटना को भेज दिया जायेगा।

वाद की अगली सुनवाई हेतु दिनांक 10-10-2022 को रखें।

ह0/-
नवीन वर्मा
अध्यक्ष